

सतीश पूनिया दो दिन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर रहेंगे

जयपुर, 22 अक्टूबर भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया 23 और 24 अक्टूबर को जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे।

सतीश पूनिया मारवाड़ के दो दिवसीय प्रवास पर मारवाड़ क्षेत्र के दिवंगत नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे तथा रामदेवरा में रामदेव महाराज और जैसलमेर में तनोद माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इस दौरान सतीश पूनिया नवजात कन्याओं के, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने का शुभारंभ करेंगे, इसके अलावा वे वृक्षारोपण इत्यादि सामाजिक सरोकारों के

वे रामदेवरा तथा तनोद माता के दर्शन करेंगे व सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का शुभारंभ करेंगे।

कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।

डॉ. पूनिया 23 अक्टूबर को प्रातः जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वे, ओसियां, लोहावट, फलीदी, रामदेवरा व कश्मीर (शिव) जाएंगे, फिर बाड़मेर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।

डॉ. पूनिया बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में नवजात कन्याओं के

सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बी.एस.एफ. के सहयोग में गडरा रोड में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री भगवान गौशाला जाएंगे और शाम को तनोद माता मंदिर की आरती में शामिल होंगे।

पिछले वर्ष भी सतीश पूनिया ने 24 अक्टूबर को बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मालाजी मंदिर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नौ कन्याओं के खाते खुलवाने का शुभारंभ किया था, जो पूरे प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक अभियान बना, जिसमें प्रदेशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने 60 हजार से अधिक कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए थे।

झारखंड में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वाकांक्षी रख अपनाया हुआ है।

इण्डिया ब्लॉक पार्टियाँ यदि एक सर्वमान्य सीट शेयरिंग फॉर्मूला को अंतिम रूप देने में असफल रही तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ भाजपा को होगा। जिसकी राज्य में जड़ें काफी गहरी हैं। चम्पई सोरेन के जाने के बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आंतरिक संकट से जूझ रहा है और पर्यवेक्षक मानते हैं कि हेमंत सोरेन का "सिमैथी फैक्टर" ही पार्टी को जीत दिलाने में सक्षम नहीं होगा। सिर्फ इसी के भरोसे पार्टी बहुमत आंकड़े तक नहीं पहुँच सकती है, खासकर सहयोगियों के असहयोगी रवैये के कारण। सीटों के बंटवारे पर इण्डिया गठबंधन में वार्ता चल रही है। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आश्विन नहीं लग रहे हैं।

द्रव्यवती नदी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए टाटा को भुगतान देने पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 22 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड-एस.यू.सी.जी. कंपनी को द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने और आधारभूत ढांचा बनाने के संबंध में 52 करोड़ के शेष भुगतान की राशि नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ ने जे.डी.ए. की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में जे.डी.ए. की ओर से अधिवक्ता

हाईकोर्ट ने जे.डी.ए. की याचिका पर इस 1400 करोड़ रुपये के टैंडर में से शेष 52 करोड़ रुपये के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा।

जे.डी.ए. इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा कम्पनी को 1365 करोड़ रु. का भुगतान पहले ही कर चुका है।

अनुरूप सिंघी पैरवी के लिये पेश हुए थे, वहीं टाटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता शिवांशु नवल पैरवी के लिये पेश हुए थे।

मामले के तथ्यों के अनुसार,

जे.डी.ए., द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिये किये गये टैंडर में टाटा को 1365 करोड़ का भुगतान पहले ही कर चुका है, परंतु 52 करोड़ रुपये का भुगतान इसलिये रोका गया है क्योंकि जे.डी.ए. का

आरोप है कि टाटा ने 47.5 किलोमीटर लंबी नदी के तीन हिस्सों में तल को समतल कर पक्का बनाने का काम नहीं किया। हालांकि जब यह मामला आर्बिट्रेशन में गया था तो टाटा के पक्ष में ही अर्वाइड आया था। इसके बाद जे.डी.ए. ने आर्बिट्रेशन अर्वाइड को कमर्शियल कोर्ट में चुनौती दी थी। कमर्शियल कोर्ट ने जे.डी.ए. को अर्वाइड के आधार पर 52 करोड़ की 50 प्रतिशत की राशि को जमा करने के आदेश दिये थे। इसके खिलाफ जे.डी.ए. ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

उपभोक्ता आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से मेडिकल बीमा लिया था। उसके हदय रोग होने के चलते इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए।

जब बैंक ने बीमा राशि देने से इनकार किया तो परिवारी ने वर्ष 2012 में आयोग के समक्ष परिवार पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 1 फरवरी, 2012 को बैंक को आदेश देते हुए परिवारी को 9.50 लाख रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा। इसके साथ ही आयोग ने बैंक पर दस हजार रुपए का हजाना भी लगाया।

इस आदेश के खिलाफ बैंक ने राज्य आयोग में अपील की, जिसे आयोग ने 17 अप्रैल, 2015 को खारिज कर दिया। वहीं, बाद में राष्ट्रीय आयोग ने भी मई, 2018 में बैंक को अपील को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद, अब तक आदेश की पालना नहीं हुई। प्रार्थना पत्र में गुहार की गई कि बैंक की संपत्ति को नीलाम कर परिवारी को भुगतान दिलाया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

शिवसेना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हटाना पड़ता है।" कांग्रेस पर खुला कटाक्ष करते हुये, राउत ने कहा, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। यह पार्टी भाजपा से भी बड़ी है।..... उनकी हाई कमान दिल्ली में है, उनकी बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं।" लेकिन, उन्होंने अपने मित्र दल कांग्रेस को विशिष्ट परामर्श देने से बचते हुये कहा, "मैं उन्हें क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, उनका मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग हैं।" दो सौ अठासी सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिये मतदान 20 नवम्बर को, तथा मतगणना 23 नवम्बर को होनी है।

केन्द्रीय गृह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में सी.आर.पी.एफ. ने उसे सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन उसे सेवा परिलाभ नहीं दिए। सी.आर.पी.एफ. का यह कृत्य अदालती आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।

ऐसे में उसे सेवा परिलाभ दिलाए जाएं और दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

बजरंग पूनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को एकजुट करेंगे और किसानों के संघर्ष के लिए एक बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कई गैर राजनैतिक किसान संगठन हैं। देश की कुल आबादी के 52 प्रतिशत किसान हैं और अगर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया तो भी इससे किसानों को लाभ नहीं होगा।

वन विभाग की लापरवाही से सज्जनगढ़ पार्क से मादा पैंथर पिंजरा तोड़ भागी

मादा पैंथर सोमवार को लखावली में पिंजरे में कैद हुई थी, रात 8.30 बजे उसे सज्जनगढ़ लाया गया

उदयपुर, 22 अक्टूबर (कासं.)। शहर और ग्रामीण इलाकों में पैंथर के खौफ के बीच मंगलवार को वन विभाग की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मादा पैंथर पिंजरा तोड़कर भाग गई। यह मादा पैंथर सोमवार को बेदला के समीप लखावली क्षेत्र में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गयी थी, जिसे वन विभाग की टीम रात 8:30 बजे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर पहुंची थी।

मादा पैंथर के भागने की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को सुबह 8 बजे मिली। इसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए कई टीमों लगा दी हैं।

लखावली से लाई गई मादा पैंथर को उसी पिंजरे में रखा था, जिसमें बह आयी थी, पैंथर परेशान न हो, इसलिए पिंजरे पर कपड़ा डालकर उसे चारों ओर से ढक दिया गया था। रात को पैंथर ने पिंजरे की जाली

वन विभाग की लापरवाही तब सामने आई जब पैंथर के रात में भाग निकलने की सूचना कर्मचारियों को सुबह 8 बजे मिली।

पर पड़े कपड़े को खींच कर जाली ऊंची की और जगह बनाकर पिंजरे से निकलकर बायोलॉजिकल पार्क से भाग गयी। सुबह जब स्टाफ पिंजरे के पास पहुंचा तो पैंथर के भाग जाने का पता चला। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जगह-जगह वन विभाग की टीमों इस मादा पैंथर की तलाश कर रही है।

सज्जनगढ़ की पहाड़ी और बायो पार्क में दिन भर तलाश जारी रही, लेकिन पैंथर का पता नहीं चला है। खतरे को देखते हुए, सज्जनगढ़ पर पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि प्रत्येक मंगलवार

को बायो पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है, पर वहां काम करने वाले पज्जदरों को भी अब सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है।

जहां पर यह मादा पैंथर पिंजरे में कैद हुई थी, उस जगह से करीब 15 किमी दूर 18 अक्टूबर को एक पैंथर को गोली मारी गई थी। आंशका जताई जा रही थी कि 10 लोगों का शिकार करने वाला पैंथर वही था, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

एक पैंथर को शूट करने के बाद भी यहां सर्च टीमें तैनात हैं। इस समय मदार में 5 और राठौड़ों का गुट्टा में 13 पिंजरे सहित उस इलाके में कुल 18 पिंजरे लगा रखे हैं। अब ज्यादा टीमों की भीड़ के बजाय, छोटे-छोटे गुप बनाकर सर्च की जा रही है। मदार, बड़ी पंचायत, सज्जनगढ़ सेंचुरी और बड़ी तालाब के पास स्थित हैं। पैंथर इन तालाबों में प्यास बुझाने आते रहते हैं। इसलिए इनका मूवमेंट आसपास के इलाकों में भी रहता है।